न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/122/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/247

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री संतोष जैमन पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, नि0 43/54/07, द्वितीय तल, सुभाष लेन, वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर (राज.)–302020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 29.09.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.11.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत सूचना आवेदन दिनांकः 08.08.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम–सकट, तह0 राजगढ के ख.नं. 1426/1, 1434/1 व उससे लगते हुए रास्ते की भूमि में स्थित सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाए जाने के क्रम में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांकः 25.7.22 के क्रम में की गई कार्यवाही, प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्राप्त अनुपालना व उक्त अधिनियम की धारा 7(8) के आलोक में समस्त विवरण सहित कुल 3 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 26.09.2022 के माध्यम से उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई।
5. प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. सू.अ./2022/1888 दिनांकः 10.10.22 के माध्यम से अपील का बिन्दुवार जवाब इस न्यायालय को प्रस्तुत करते हुए प्रति अपलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में उनके पत्र सं. सू.अ./2022/1875 दिनांकः 04.10.2022 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में बिन्दुवार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है।
9. उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है, साथ ही लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना आवेदनों में वांछित सूचना अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में अतित्वरित प्रेंषित किया जाना सुनिश्चित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 14.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(जीतेन्द्रसिंह नरूका)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)